

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
(आर.ई.वृत्त)


क्र/जे.पी.डी./मु.अ.(पी.पी.एम.)/अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा.अभि.(II)/प.146/प्रे.216दि 11.2.15

**आदेश**

**विषय-** कृषि उपभोक्ताओं का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर वास्तविक भार के आधार पर ही बिलिंग जारी करने के क्रम में।


कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.3.2007 तक) के दिन्दु संख्या 23 (i) में सतर्कता अथवा अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर 20 प्रतिशत तक बढ़े हुए भार के लिये कोई चार्ज नहीं लिये जायेंगे। इससे अधिक होने पर विद्युत भार बढ़ा हुआ माना जायेगा। बढ़े हुए भार को स्वीकृत करने के लिये रूपये 1500/- प्रति हार्स पावर, पेनल्टी के रूप में 1.5 गुणा मासिक फ्लेट रेट चार्ज 3 माह के लिये जाने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि " कृषि कनेक्शन में बढ़ा हुआ भार पाए जाने पर विद्युत दर बढ़े भार के अनुरूप ही देय होगी चाहे भार 20 प्रतिशत से कम बढ़ा हुआ पाया जाए अथवा ज्यादा। केवल 20 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ भार पाए जाने पर पैनल्टी देय नहीं होगी"।

  
मुख्य अभियन्ता (पी.पी. एम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/भरतपुर/कोटा।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (आई.टी., एम एण्ड पी., डी. एस. एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी/जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अलवर/भरतपुर/बांरा/बूंदी/दौसा/धोलपुर/जयपुर/झालावाड/करौली/कोटा/सवाई माधोपुर/टोक।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम/अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, सलाहकार (ऊर्जा) मुख्य मंत्री योजना भवन जयपुर।
11. प्रावैधिक सहायक, राज्य मंत्री, उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (राम बाग सर्किल) जयपुर।
13. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
16. विशिष्ट सहायक, सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय उर्जा मंत्री को सूचनार्थ।
19. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सूचनार्थ।
20. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. /राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर।
21. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।

  
मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम)  
जेपीडी, जयपुर